

मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्या

प्रलिस के लयः

मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबधत सरकारी योजनारुँ ।

मेन्स के लयः

मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसकी व्यापकता और इससे नपिटने के प्रयास ।

चरुा में क्युँ?

हाल ही में 'सामाजक न्याय एवं अधकारता मंत्रालय' ने लोकसभा में सूचत कया कवर्ष 2021 के दौरान अब तक 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' के कारण 22 लुगुँ की मूत हो चुकी है ।

- 'सफाई करुमचारी आंदोलन' के राष्ट्रीय संयोजक के अनुसार, वर्ष 2016 और वर्ष 2020 के बीच मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण देश भर में 472 मूतें दर्ज की गईं ।
 - 'सफाई करुमचारी आंदोलन' मैनुअल स्कैवेंजिंग के उनमूलन हेतु एक आंदोलन है ।
- संवधान का अनुच्छेद-21 'गरुमिपूरुण जीवन के अधकार' की गारंटी देता है । यह अधकार नागरकुँ और गैर-नागरकुँ दुनुँ के लयः उपलब्ध है ।

प्रमुख बढु

- मैनुअल स्कैवेंजिंग:
 - मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) को "सारुवजनक सड़कुँ और सूखे शूचालयुँ से मानव मल को हटाने, सेप्टक टैंक, नालयुँ तथा सीवर की सफाई" के रूप में परभाषत कया गया है ।
- कुप्रथा के प्रसार का कारण:
 - उदासीन रुवैया: कई अधययनुँ में राज्य सरकारुँ द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त कर पाने में असफलता को सूवीकार न करना और इसमें सुधार के प्रयासुँ की कमी को एक बड़ी समस्या बताया गया है ।
 - आउटसोरस की समस्या: कई स्थानीय नकयुँ द्वारा सीवर सफाई जैसे कारुँ के लयः नजुी ठेकेदारुँ से अनुबंध कया जाता है परंतु इनमें से कई फुलाई-बाय-नाइट ऑपरेटर" (fly-By-Night Operator), सफाई करुमचारयुँ के लयः उचतः दशुा-नरुदेश एवं नयःमावली का प्रबंधन नहीं करते हैं ।
 - ऐसे में सफाई के दौरान कसुी करुमचारी की मृत्यु होने पर इन कंपनयुँ या ठेकेदारुँ द्वारा मृतक से कसुी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार कर दया जाता है ।
 - सामाजक मुद्दा: मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा जातः, वर्ग और आय के वभाजन से प्रेरतः है ।
 - यह प्रथा भारत की जात वयवस्था से जुड़ी हुई है, जहाँ तथाकथतः नचुली जातयुँ से ही इस काम को करने की उम्मीद की जाती है ।
 - 'मैनुअल स्कैवेंजरस का रोजगार और शुष्क शूचालय का नरुमाण (नषुध) अधनयःम, 1993' के तहत देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतःबुधतः कर दया गया है, हालाँकः इसके साथ जुड़ा कलंक और भेदभाव अभी भी जारी है ।
 - यह सामाजकः भेदभाव मैनुअल स्कैवेंजिंग कारुँ को छोड़ चुके शरुमकुँ के लयः आजीवकः के नए या वैकल्पकः माध्यम प्राप्त करना कठनः बना देता है ।
 - उठाए गए कदम:
 - मैनुअल स्कैवेंजरस के नयुःयोजन का प्रतःषुध और उनका पुनरुवास अधनयःम, 2013:
 - यह अधनयःम सभी रूपुँ में हाथ से मैला ढोने के नषुध को सुदृढ करने का प्रयास करता है और हाथ से मैला ढोने वालुँ के पुनरुवास को सुनशुचतः करता है ।
 - अतुयाचार नवारुण अधनयःम
 - यह अनुसूचतः जातयुँ और अनुसूचतः जनजातयुँ के खलःाफ वशुषुध अपराधुँ को गैर-कानूनी ढुषतः करता है ।
 - सफाई करुमचारयुँ का राष्ट्रीय आयोगः

- आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक गैर-सांघिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका कार्यकाल समय-समय पर सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से बढ़ाया जाता है।
- **स्वच्छ भारत अभियान**
 - स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर, 2014 को सरकार द्वारा देश की सड़कों को साफ करने और सामाजिक बुनियादी अवसंरचना के निर्माण हेतु शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है।
- **मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतषिध और उनका पुनर्वास (संशोधन) वधियक, 2020:**
 - इसमें सीवर की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करने, 'ऑन-साइट' सुरक्षा के तरीके पेश करने और सीवर से होने वाली मौतों के मामले में मैनुअल स्कैवेंजर्स को मुआवज़ा प्रदान करने का प्रस्ताव है।
 - यह मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतषिध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 में संशोधन होगा।
- **सफाई मतिर सुरक्षा चुनौती:**
 - इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में **वशिव शौचालय दविस** (19 नवंबर) पर लॉन्च किया गया था।
 - सरकार ने सभी राज्यों के लिये अपरैल 2021 तक सीवर-सफाई को मशीनीकृत करने हेतु इस 'चुनौती' का शुभारंभ किया है, इसके तहत यदकिसी व्यक्त को अपरहार्य आपात स्थिति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उचित गयिर और ऑक्सीजन टैंक आदि प्रदान कयि जाते हैं।
- **'स्वच्छता अभियान एप':**
 - इसे अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वालों के डेटा की पहचान और जयिडैग करने के लयि वकिसति कयि गया है, ताककि अस्वच्छ शौचालयों को सेनेटरी शौचालयों से प्रतस्थिापति कयि जा सके तथा हाथ से मैला ढोने वालों को जीवन की गरमिा प्रदान करने के लयि उनका पुनर्वास कयि जा सके।
- **सर्वोच्च नययालय का नरिणय:**
 - वर्ष 2014 में सर्वोच्च नययालय ने अपने एक आदेश के तहत सरकार के लयि उन सभी लोगों की पहचान करना अनविर्य कर दयिा था, जो वर्ष 1993 से सीवेज का काम करने के दौरान मारे गए हैं और साथ ही सभी के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवज़ा प्रदान करने के भी नरिदेश दयि गए थे।

आगे की राह

- **उचित पहचान:** राज्यों को दूषित कीचड़ की सफाई में संलग्न शर्मकों की पहचान करनी चाहयि और उनका एक उचित रकिॉर्ड बनाना चाहयि।
- **स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाना:** **15वें वतित आयोग** द्वारा **स्वच्छ भारत मशिन** को सर्वोच्च प्राथमकिता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है और स्मार्ट शहरों एवं शहरी वकिस के लयि उपलब्ध धन से मैला ढोने की समस्या का समाधान करने की वकालत की गई थी।
- **सामाजकि संवेदनशीलता:** हाथ से मैला ढोने के पीछे की सामाजकि स्वीकृति को संबोधति करने के लयि पहले यह स्वीकार करना आवश्यक है कहिाथ से मैला ढोने की यह प्रथा जातवियवस्था में अंतरनहिति है।
- **सख्त कानून की आवश्यकता:** यदकौई कानून राज्य एजेंसियों पर स्वच्छता सेवाएँ प्रदान करने के लयि एक वैधानकि दायतिव नरिधारति करता है, तो इसके माध्यम से अधिकारियों द्वारा शर्मकों की अधिक सुरक्षा सुनश्चिती की जा सकेगी।

स्रोत: द हट्टि